मुख्य विकास अधिकारी/जिलाधिकारी महोदय

जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत चल रहें कार्यों के सम्बन्ध में दिनांक 19.10.2023 को आयोजित समीक्षा बैठक में निम्नानुसार निर्देश दिये गये।

1– अधिशासी अभियन्ता जल निगम (ग्रामीण) द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद में कुल 658 ग्राम पंचायतों में 1452 राजस्व ग्राम हैं, जिसमें 532 परियोजनाओं के अन्तर्गत 590 ग्राम पंचायतें समाहित है। सभी परियोजनाओं से सम्बन्धित डीपीआर पूर्ण हो चुकी है तथा राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन से स्वीकृत भी है। 532 परियोजनओं में से 510 परियोजनाओ पर कार्यदायी संस्थाओं द्वारा कार्य प्रारम्भ होना बताया गया। 22 ऐसी परियोजनायें है जहॉ पर अभी तक कार्य प्रारम्भ नही हुआ है। कार्यदायी संस्थाओं द्वारा बताया गया कि लैण्ड ईश्यू (भूमि विवाद) के कारण कार्य प्रारम्भ करनें में कठिनाई हो रही है। भूमि विवाद से सम्बन्धित प्रकरणों को सम्बन्धित उपजिलाधिकारी से सम्पर्क करते हुए निस्तारण करने एवं कार्य प्रारम्भ करने हेतु अधिशासी अभियन्ता एवं कार्यदायी संस्थाओं को निर्देश दिये गये।

2– कार्यदायी संस्था मेसर्स एल.सी.इन्फ्रा के निमार्ण कार्यों की मदवार समीक्षा की गयी। संस्था को कुल 219 परियोजनायें आवंटित है। संस्था द्वारा 252 ट्यूबवेल बोरिंग करने के सापेक्ष 229 बोरिंग की गयी है, 229 नग बोरिंग में से मात्र 171 नग नलकूप पर कम्प्रेशर एवं ओ0पी0 यूनिट चलाकर नलकूप का कार्य पूर्ण हो गई। 23 स्थलों पर बोरिगं का कार्य ही प्रारम्भ नही किया गया है। पम्प हाउस में 252 के सापेक्ष मात्र 89 पर कार्य प्रारम्भ किया गया है, जिसमें से 61 पम्प हाउस पूर्ण हुए है। इस प्रकार 191 पम्प हाउस पूर्ण होने के लिये अवशेष बचे हुए है। यह भी उल्लेखनीय है कि 163 पम्प हाउस के निर्माण हेतु संस्था द्वारा कार्य ही प्रारम्भ नही किया गया है। ओवर हेड टैंक पर 226 के सापेक्ष 166 पर कार्य प्रारम्भ होना बताया गया। 60 ओवर हेड टैंकों पर निमार्ण कार्य प्रारम्भ नही किया गया है। पाईप लाईन डिस्ट्रीब्यूसन में 2947 किमी0 के सापेक्ष 1727 किमी0 पाईप लाईन बिछाने का कार्य पूर्ण होना बताया गया। संस्था द्वारा 486 राजस्व ग्रामों के सापेक्ष 137 राजस्व ग्रामों में 100 प्रतिशत एफएचटीसी पूर्ण की गयी है, जबकि हर घर जल सर्टिफाइड श्रेणी में मात्र 4 ग्राम घोषित हो पाये हैं। उपरोक्त बिन्दुओं की समीक्षा से स्पष्ट है कि संस्था द्वारा द्वितीय फेज में दो वर्ष पूर्व कार्य प्रारम्भ करने के बावजूद समस्त पम्प हाउस एवं ओवर हेड टैंक पर कार्य प्रारम्भ न करना संस्था की लापरवाही एवं उदासीनता परिलक्षित हो रही है। संस्था द्वारा दो वर्षों में मात्र एक ओवर हेड टैंक पूर्ण किया गया है। अधिशासी अभियन्ता द्वारा बताया गया कि के मैनपावर एवं संशाधनों का अभाव होने के कारण कार्य असंतोषजनक है। अधिशासी अभियन्ता, जल निगम (ग्रामीण) को मेसर्स एल0सी0 इन्फ्रा को चेतावनी निर्गत कराये जाने के निर्देश दिये गये। संस्था को मैनपावर एवं संशाधन की वृद्धि करते हुए निर्माण कार्य में प्रगति लाते हुए अधिक से अधिक परियाजनाओं को पूर्ण करने के निर्देश दिये गये।

3– कार्यदायी संस्था मेसर्स जी.ए.विश्वनाथ से सम्बन्धित निर्माणाधीन परियोजनाओं की गहन समीक्षा की गयी। इस संस्था द्वारा पॉचवे फेज में नवम्बर 2022 से कार्य प्रारम्भ किया गया है। कुल 200 परियोजनाओं में 208 ट्यूबवेल बोरिंग के सापेक्ष 204 ट्यूबवेल की बोरिंग कर ली गयी है, जिसमें से 186 बोरिंग पूर्ण भी हो चुकी हैं। मात्र 04 बोरिंग का कार्य प्रारम्भ नही हुआ है। पम्प हाउस में 208 के सापेक्ष 118 पर कार्य प्रारम्भ किया गया है, जिसमें से 95 पम्प हाउस का कार्य पूर्ण होना बताया गया। 113 पम्प हाउस पूर्ण किये जाने है, जबकि 90 पम्प हाउस के लिये निर्माण कार्य आरम्भ करना शेष है। ओवर हेड टैंक में 199 के सापेक्ष 132 पर कार्य प्रारम्भ हुआ है। 167 स्थलों पर कार्य आरम्भ नही किया गया है। पाईप लाइन डिस्ट्रीब्यूसन में 1048 किमी0 के सापेक्ष 513 किमी0 पाईप लाईन का वितरण किया गया है। 513 राजस्व ग्रामों में से 300 राजस्व ग्रामों मे 100 प्रतिशत एफएचटीसी पूर्ण हो चुकी है, परन्तु एक भी ग्राम हर घर जल सर्टिफाईड घोषित नही किया गया है। 83941 एफएचटीसी के सापेक्ष 21571

Scanned with OKEN Scanner

की पूर्ति करते हुए 25.07 प्रतिशत तक लक्ष्य प्राप्त किया गया है। संस्था को अवशेष कार्यों में गति लाते हुये अधिक से अधिक परियोजनाओं को शत–प्रतिशत पूर्ण किये जाने के निर्देश दिये गये।

4– मेसर्स के.एल.एस.आर कार्यदायी संस्था के कार्यों की समीक्षा के दौरान अधिशासी अभियन्ता द्वारा अवगत कराया गया कि इस संस्था के द्वारा नवम्बर 2022 से पॉचवें फेज में कार्य प्रारम्भ किया गया है। कुल 113 परियोजनाओं में 115 ट्यूबवेल के सापेक्ष 104 स्थलों पर ट्यूबवेल का कार्य प्रारम्भ किया गया है। लैण्ड ईश्यू (भूमि विवाद) के कारण 11 स्थलों पर ट्यूबवेल का कार्य प्रारम्भ नही हुआ है। पम्प हाउस निर्माण में 115 के सापेक्ष मात्र 38 स्थलों पर कार्य प्रारम्भ किया गया है। 03 पम्प हाउस पूर्ण होना बताया गया। स्पष्ट है कि संस्था द्वारा 115 में 67 स्थलों पर पम्प हाउस निर्माण का कार्य प्रारम्भ न करना संस्था की घोर लापरवाही एवं उदासीनता परिलक्षित हो रही है। इसी प्रकार ओवर हेड टैंक के निर्माण के लिये 113 के सापेक्ष मात्र 46 स्थलों पर निर्माण का कार्य किया गया है। 67 ओवर हेड टैंक के लिये संस्था ने निर्माण कार्य ही प्रारम्भ नही किया है, जो बहुत ही आपत्तिजनक है। पाईप लाईन डिस्ट्रीब्यूशन में 1748 किमी0 के सापेक्ष 871 किमी0 पाईप लाईन का वितरण किया गया है। एफएचटीसी में भी 43659 के सापेक्ष मात्र 9755 एफएचटीसी का लक्ष्य पूर्ण किया गया है। जो मात्र 22.03 प्रतिशत है। उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि निर्माणाधीन परियोजनाओं को निर्धारित अवधि में पूर्ण करने के प्रति संस्था अत्यधिक लापरवाह एवं उदासीन है। अधिशासी अभियन्ता जल निगम को मेसर्स के. एल.एस.आर के लिये चेतावनी निर्गत करायें जाने के लिये निर्देश दिये गये। संस्था को मैनपावर एवं संशाधन में वृद्धि करते हुए निर्माण कार्य में प्रगति लाने हेतु निर्देशित किया गया।

5– जल जीवन मिशन से सम्बन्धित निर्माणाधीन परियोजनाओं में मानक के अनुसार गुणवत्तापूर्ण निर्माण के सम्बन्ध में टीपीआई संस्था द्वारा स्थल निरीक्षण के उपरान्त उठायी गयी आपत्तियों/निरीक्षण टिप्पणी का अनुपालन किये जाने के समीक्षा की गयी। समीक्षा में प्रस्तुत विवरण पत्र के अवलोकन से स्पष्ट है कि मेसर्स एल.सी.इन्फा द्वारा 579 क्रिटीकल; 2084 मेजर, तथा 137 माईनर कुल 2800 टिप्पणियों के सापेक्ष क्रमशः 563 क्रिटीकल, 199 मेजर, तथा 105 माईनर कुल 867 कम्प्लायन्स रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी है। मेसर्स जी.ए.विश्वनाथ द्वारा 214 क्रिटीकल, 777 मेजर तथा 08 माईनर कुल 999 टिप्पणी के सापेक्ष क्रमशः 175 क्रिटीकल, 222 मेजर तथा 06 माईनर कुल 403 कम्प्लायन्स रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी है। इसी प्रकार मेसर्स के.एल.एस.आर द्वारा 68 क्रिटीकल 271 मेजर तथा 16 माईनर कुल 355 आपत्तियों के सापेक्ष क्रमशः 18 क्रिटीकल, 58 मेज़र तथा माईनर में शून्य कुल 76 कम्प्लायन्स रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी है। उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि टीपीआई संस्था द्वारा निर्माण की गुणवत्ता को लेकर जो कमियॉ उठायी जाती है, उन कमियों का निराकरण समयान्तर्गत नही किया जा रहा है, फलस्वरूप नॉन कम्प्लायन्स रिपोर्ट प्रस्तुत करने में कार्यदायी संस्थाओं की उदासीनता एवं लापरवाही स्पष्ट रूप से परिलक्षित हो रही है। निर्माण के समय गुणवत्ता में जो कमी पायी जाती है, उस कमी का निराकरण करते हुए गुणवत्तापूर्ण निर्माण के प्रति संस्थाओं को सचेत किया जाता है। यह भी निर्देशित किया जाता है कि ओवर हेड टैंक के निमार्ण में मजबूती (स्टेंथ) पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। टैंक के स्ट्रक्चर में किसी भी प्रकार की लापरवाही क्षम्य नही होगीं। किसी भी प्रकार की दुर्घटना घटित होने पर संस्था के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जायेगी। कार्यदायी संस्थाओं द्वारा रोड रेस्टोरेशन में रूचि न लेने के कारण शिकायतें प्राप्त हो रही है। रोड रेस्टोरेशन के लिये संस्थाओं को सचेत किया गया। अधिशासी अभियन्ता जल निगम को नान कम्प्लायन्स रिपोर्ट एवं निर्माण कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिये निर्देशित किया गया।

6– इम्प्लीमेन्ट सपोर्ट एजेन्सीज (आईएसए) के कार्यों/गतिविधियों की समीक्षा के दौरान जिला समन्वयक डीपीएमयू द्वारा अवगत कराया गया कि जन–जागरूकता एवं स्वच्छता सम्बन्धी गतिविधियों को सम्पादित किये जाने हेतु मऊ जनपद के लिये 04 संस्थायें सूचीबद्ध है। समाज कल्याण ग्रामोद्योग संस्थान को 05 क्लस्टर, अभिनव बाल एवं ग्रामोत्थान समिति को 03 तीन क्लस्टर तथा जन कल्याण समिति को 04 क्लस्टर एवं सोशल रिसर्च इन्स्टीट्यूट 03 क्लस्टर आवंटित किये गये है।

Scanned with OKEN Scanner

परियोजनाओं से सम्बन्धित कोई भी ग्राम पंचायत आवंटन हेतु अवशेष नही है। सभी संस्थाओं द्वारा प्रत्येक क्लस्टर के प्रत्येक फेज में जो कार्य किया गया है उसकी प्रगति का विवरण निम्नतालिका में अंकित है–

प्रगति तालिका

क्र0सं0	आईएसए संस्था का नाम	क्लस्टर एवं फेज	वर्तमान प्रगति 15.10.2023
1	समाज कल्याण ग्रोद्योग संस्थान प्रथम क्लस्टर 24.07.21 से 23.07.2022	क्लस्टर I –फेज I	96.00 प्रतिशत
		क्लस्टर I –फेज II	93.00 प्रतिशत
		क्लस्टर I –फेज III	Request for Proposal– Implementation Phase will start after commissioning of schemes.
	द्वितीय क्लस्टर 13.09.22 से 12.09.2023	क्लस्टर II –फेज I	96.00 प्रतिशत
		क्लस्टर II –फेज II	93.00 प्रतिशत
		क्लस्टर II –फेज III	Request for Proposal– Implementation Phase will start after commissioning of schemes.
	तृतीय क्लस्टर 15.05.23 से 14.05.24	क्लस्टर III –फेज I	90.00 प्रतिशत
		क्लस्टर III –फेज II	84.00 प्रतिशत
	चतुर्थ क्लस्टर 14.06.23 से 13.06.24	क्लस्टर IV–फेज I	91.00 प्रतिशत
		क्लस्टर IV–फेज II	26.00 प्रतिशत
	पंचंम क्लस्टर 14.06.23 से 13.06.24	क्लस्टर V–फेज I	91.00 प्रतिशत
		क्लस्टर V–फेज II	24.00 प्रतिशत
2	अभिनव बाल एवं ग्रामोत्थान समिति प्रथम क्लस्टर 05.08.21 से 04.08.2022	क्लस्टर I –फेज I	96.00 प्रतिशत
		क्लस्टर I–फेज II	92.00 प्रतिशत
		क्लस्टर I–फेज III	Request for Proposal–Implementation Phase will start after commissioning of schemes.
	द्वितीय क्लस्टर 13.09.22 से 12.09.2023	क्लस्टर II–फेज I	95.00 प्रतिशत
		क्लस्टर II–फेज II	93.00 प्रतिशत
		क्लस्टर II–फेज III	Request for Proposal – Implementation Phase will start after commissioning of schemes.
	तृतीय क्लस्टर 14.06.23 से 13.06.24	क्लस्टर III–फेज I	95.00 प्रतिशत
		क्लस्टर III–फेज II	36.00 प्रतिशत
3	जन कल्याण समिति प्रथम क्लस्टर 14.12.22 से 13.12.23	क्लस्टर I–फेज I	95.00 प्रतिशत
		क्लस्टर I–फेज II	94.00 प्रतिशत
	द्वितीय क्लस्टर 14.06.23 से 13.06.24	क्लस्टर II–फेज I	95.00 प्रतिशत
	तृतीय क्लस्टर 14.06.23 से 13.06.24	क्लस्टर III–फेज I	95.00 प्रतिशत
	चतुर्थ क्लस्टर 14.06.23 से 13.06.24	क्लस्टर IV–फेज I	95.00 प्रतिशत
4	सोशल रिसर्च इन्स्टीट्यूट प्रथम क्लस्टर 08.02.23 से 07.02.24	क्लस्टर I–फेज I	96.00 प्रतिशत
		क्लस्टर I–फेज II	86.00 प्रतिशत
	द्वितीय क्लस्टर 14.06.23 से 13.06.24	क्लस्टर II–फेज I	90.00 प्रतिशत
		क्लस्टर II–फेज II	23.00 प्रतिशत
	तृतीय क्लस्टर 14.06.23 से 13.06.24	क्लस्टर III–फेज I	83.00 प्रतिशत
		क्लस्टर III–फेज II	31.00 प्रतिशत

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि सभी संस्थाओं द्वारा सामुदायिक अंशदान में कोई प्रगति नही की गयी। समाज कल्याण द्वारा तृतीय, चतुर्थ एवं पंचम क्लस्टर के द्वितीय फेज में कमशः 84,26,24 प्रतिशत की प्रगति है। इसी प्रकार अभिनव बाल द्वारा तृतीय क्लस्टर के द्वितीय फेज में मात्र 36 प्रतिशत की प्रगति है। जन कल्याण समिति द्वारा चारों क्लस्टर के प्रथम फेज में 95 प्रतिशत कार्य किया गया है जबकि द्वितीय फेज में दिनांक 14.09.2023 से 15.10.23 तक कोई कार्य नही किया गया, जिससे संस्था की लापरवाही प्रतीत हो रही है। संस्था को सचेत किया गया। सोशल रिसर्च इन्स्टीट्यूट द्वारा द्वितीय एवं तृतीय क्लस्टर के प्रथम फेज का कार्य पूर्ण करने हेतु दिनांक 13.09.2023 की अवधि निर्धारित थी,

Scanned with OKEN Scanner

परन्तु कमशः 90 प्रतिशत व 83 प्रतिशत ही कार्य पूर्ण किया गया है। संस्था को धीमी प्रगति के लिये सचेत करते हुये गुणवत्तापूर्ण समस्त गतिविधियां निर्धारित अवधि में पूर्ण किये जाने के निर्देश दिये गये।

उपरोक्तानुसार बैठक का कार्यवृत्त तैयार कर महोदय के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है। सादर अनुरोध है कि कृपया बैठक कार्यवृत्त अनुमोदन करने का कष्ट करें।

अधिशासी अभियन्ता
खण्ड कार्यालय
उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण)
मऊ।

27/10/23
मुख्य विकास अधिकारी
मऊ

Scanned with OKEN Scanner